

न्यायालय उपजिलाधिकारी करछना, इलाहाबाद

वाद संख्या	25	वर्ष 2009–10	अन्तर्गत धारा 143 ज0वि0अधि0
मजा धनुहॉ	परगना अरैल	तहसील करछना	जिला इलाहाबाद
श्रीकृष्ण विद्यालय समिति		बनाम	गौवसभा

प्रस्तुतवाद श्रीकृष्ण विद्यालय समिति, 99बी/8सी मोहिले नगर, अल्लापुर, इलाहाबाद द्वारा प्रबंधक भान सिंह पुत्र स्व0 नन्द किशोर सिंह निवासी—99बी/8सी मोहिले नगर, अल्लापुर, तहसील सदर, इलाहाबाद ने गौवसभा धनुहॉ परगना अरैल तहसील करछना जिला इलाहाबाद जरिये प्रधान उक्त गौवसभा को प्रतिवादी बनाते हुये ज0वि0अधि0 की धारा 143 के अन्तर्गत इस कथन के साथ योजित किया है कि मौजा धनुहॉ परगना अरैल तहसील करछना जिला इलाहाबाद स्थित आराजी संख्या 63 रकवा 0.2880हे0 लगान 60ख का संक्रमणीय भूमिधर मालिक व काविज है। यह कि उक्त भूखण्ड वर्तमान समय में कृषि कार्य बागवानी, कुकुटपालन से भिन्न प्रयोजनार्थ उपयोग में लायी जा रही है। यह कि प्रश्नगत भूखण्ड वर्तमान समय में पूर्णरूपेण अकृषिक भूमि के प्रयोजन में है। यह कि उक्त भूखण्ड के भूमि पर बाउण्डीवाल बनी हुई है। उक्त भूखण्ड गैर कृषि प्रयोजन में है जिसे अकृषिक घोषित कर राजस्व अभिलेख दुरुस्त कराया जाना अति आवश्यक है। अंत में याचना किया है कि उक्त आराजी संख्या 63 रकवा 0.2880हे0 लगान 60ख को लगान मुक्त करते हुये अकृषिक घोषित करने की कृपा करें और तदनुसार राजस्व अभिलेखों में अंकित कराया जावे। साथ में मौजा धनुहॉ परगना अरैल तहसील करछना जिला इलाहाबाद की कम्प्यूटर खतीनी वर्ष 1408 लगायत 1413 फसली तथा बैनामा की छायाप्रति दाखिल किया है, जो संलग्न पत्रावली है।

प्रकरण की स्थलीय एवं अभिलेखीय जॉच तहसीलदार करछना से करायी गयी। क्षेत्रीय लेखपाल ने अपनी जॉच आख्या दिनांक 25.10.2009 में उल्लिखित किया है कि श्रीकृष्ण विद्यालय समिति, 99बी/8सी मोहिले नगर, अल्लापुर, इलाहाबाद द्वारा प्रबंधक भान सिंह पुत्र नन्द किशोर सिंह निवासी 99बी/8सी मोहिले नगर, अल्लापुर, इलाहाबाद भूमि स्थित ग्राम धनुहॉ परगना अरैल तहसील करछना जिला इलाहाबाद की आराजी नम्बर 63 रकवा 0.2880 लगान मु0 4.85रु0 का संक्रमणीय भूमिधर है तथा उपरोक्त आराजी पर उपरोक्त समिति की बाउण्डीवाल बनी हुयी है। उपरोक्त प्लाट पर कृषि कार्य, पशुपालन, मत्स्यपालन, कुकुटपालन का कार्य नहीं किया जाता है। अतः भूमि स्थित ग्राम धनुहॉ परगना अरैल तहसील करछना जिला इलाहाबाद की भूमि स्थित गाटा नम्बर 63 रकवा 0.2880हे0 लगान 4.85रु0 श्रीकृष्ण विद्यालय समिति, 99बी/8सी मोहिले नगर, अल्लापुर, इलाहाबाद द्वारा प्रबंधक भान सिंह पुत्र नन्द किशोर सिंह निवासी 99बी/8सी मोहिले नगर, अल्लापुर, इलाहाबाद को लगान मुक्त करते हुये अकृषिक घोषित किये जाने हेतु रिपोर्ट सेवा में प्रेषित है। तहसीलदार करछना ने अपनी आख्या दिनांक 18.11.2009 में उल्लिखित किया है कि आवेदक के प्रार्थनापत्र पर स्थलीय जॉच की गयी। हल्का लेखपाल की जॉच आख्या से सहमत। अतः आवेदक के पक्ष में आराजी संख्या 63 रकवा 0.2880हे0 स्थित ग्राम धनुहॉ परगना अरैल तहसील करछना को अकृषिक घोषित करने की संस्तुति की जाती है। साथ में नियत प्रारूप पर भी आख्या दी गयी है, जो संलग्न पत्रावली है।

क्रमशः 2

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध ग्राम धनुहॉ ग्राम धनुहॉ पर अरैल तहसील करछना जिला इलाहाबाद की कम्प्यूटर खतौनी वर्ष 1408 लगायत 1413 फसली खाता संख्या 00077 आराजी नम्बर 63 रकबा 0.2880हे० लगान मु. 4.85रु० पर श्रीकृष्ण विद्यालय समिति, 99बी/8सी मोहिले नगर, अल्लापुर, इलाहाबाद द्वारा प्रबंधक भान सिंह पुत्र नन्द किशोर सिंह निवासी 99बी/8सी. मोहिले नगर, अल्लापुर, इलाहाबाद का नाम बतौर सहसंक्रमणीय भूमिधर दर्ज है। संलग्न बैनामें की छाया प्रति से स्पष्ट है कि उक्त आराजी नम्बर 63 रकबा 0.2880हे० को प्रार्थी/वादी द्वारा जरिये पंजीकृत बैनामा क्रय किया गया है। क्षेत्रीय लेखपाल तथा तहसीलदार करछना ने अपनी उक्त आख्या में स्पष्ट किया है कि उक्त गाटा संख्या 63 रकबा 0.2880हे० में कृषि कार्य, बागवानी, मत्स्यपालन, कुक्कुटपालन आदि नहीं किया जा रहा है। मौके पर उपरोक्त आराजी नम्बर पर उपरोक्त समिति की बाउण्डी बनी हुयी है तथा उक्त भूखण्ड को आवेदक के पक्ष में लगान मुक्त करते हुये अकृषिक भूमि घोषित किये जाने की संस्तुति की गयी है। साथ में नियत प्रारूप पर भी आख्या दी गयी है जो संलग्न पत्रावली है। ऐसी स्थिति में उक्त भूखण्ड को आवेदक के पक्ष में लगान मुक्त करते हुए अकृषिक घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः क्षेत्रीय लेखपाल तथा तहसील करछना की आख्या के आधार पर आदेश हुआ कि ग्राम धनुहॉ पगरना अरैल तहसील करछना जिला इलाहाबाद की खतौनी वर्ष 1408–1413 फसली के खाता संख्या 00077 आराजी संख्या 63 रकबा 0.2880हे० को आवेदक के पक्ष में लगान मुक्त करते हुए अकृषिक घोषित किया जाता है। शेष प्रविष्टियाँ यथावत बनी रहेंगी। तदनुसार परवाना अमल दरामद जारी हो। आदेश की प्रमाणित प्रति उपनिवंधक करछना को भेजी जाय। वाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली राजस्व अभिलेखागार में संचित की जाय।

दिनांक: 23.11.2009

(पुष्कर श्रीकास्तव)
उप जिलाधिकारी
करछना, इलाहाबाद।



आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल : प्रयागराज, जनपद : प्रयागराज, तहसील : करछना
वाद संख्या : -01147/2019
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या : -T201902030501147
श्री कृष्ण विद्यालय समिति बनाम उत्तर प्रदेश सरकार
अंतर्गत धारा:- 80, आधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संख्या - 2006

निर्णय

प्रस्तुत वाद श्री कृष्ण विद्यालय समिति पता 99बी/8सी, मोहिले नगर अल्लापुर शहर जिला प्रयागराज जरिए प्रबंधक/सचिव, भान सिंह पुत्र स्थ० नन्द किशोर सिंह नि० 99/8सी, पूरा दलेल अल्लापुर शहर व जिला प्रयागराज द्वारा इस कथन के साथ घोषित किया गया है कि वादी मौजा धनुहों तहसील करछना, प्रयागराज रिथत आराजी संख्या 62 के जुज रकवा 0.1295हे. का संकमणीय भूमिधर काविज दखील है, जिसका आवासीय रूप में अकृषिक उपयोग किया जा रहा है। अतः आराजी निजाई को अकृषिक घोषित किया जाए। वादी द्वारा चद्धरण खतीनी सन 1426-1431 फ०, की प्रति व स्थल का फोटोग्राफ, व खसरा वर्ष 1359फ० की प्रति व अकृषिक भूमि उद्घोषणा शुल्क के रूप में सरकारी खजाने में जमा की गयी धनराशि मुद्रित 33,000/रु० के बालान संख्या 16 दिनांक 11.3.2019 की प्रति व न्याय शुल्क के रूप में मु. 33,000/रु० का स्टाम्प दाखिल किया गया है।

हल्का लेखपाल, राजस्व निरीक्षक एवं नायब तहसीलदार करछना की जाँच रिपोर्ट सहित पत्रावली इस न्यायालय को प्राप्त होने पर वाद पंजीकृत होकर पत्रावली प्रस्तुत हुई। हल्का लेखपाल द्वारा अपनी जाँच रिपोर्ट दिनांक 02.3.2019 में उत्स्तिथित किया गया है कि राजस्व ग्राम धनुहों की आराजी संख्या 62 के क्षेत्रफल 0.168 है, में से रकवा 0.1245हे. ऐनामा द्वारा श्री कृष्ण विद्यालय समिति के पक्ष में दाखिल आरिज न्यायालय वाद संख्या 2010702323057504 दिनांक 02.3.2019 के द्वारा हुआ है। उक्त भूमि में कृषि लमार्य नहीं हो रहा है। बाउण्ड्रीबाल से धिरा हुआ है। विद्यालय का कब्जा दखल है। भूमि एन०जे०८०० या तालाब की नहीं है। मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, आदि का कार्य नहीं हो रहा है। अस्तु राजस्व ग्राम धनुहों की आराजी संख्या 62 का क्षेत्रफल 0.1245 अकृषिक किये जाने हेतु आख्या संस्तुति संहित प्रेषित है। राजस्व निरीक्षक द्वारा अपनी जाँच रिपोर्ट दिनांक 08.3.2019 में हल्का लेखपाल की जाँच आख्या को जात्यापित करते हुए उत्स्तिथित किया गया है कि ग्राम धनुहों की आराजी संख्या 62 का जुज रकवा 0.1245हे. भूमि अकृषिक घोषित किए जाने हेतु रिपोर्ट प्रेषित है। नायब तहसीलदार द्वारा हल्का लेखपाल एवं राजस्व निरीक्षक की उक्त जाँच आख्या को अध्यासारित किया गया है।

मैंने पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अनिलेखों का सम्यक परिशीलन किया। उद्धरण खतीनी सन 1426-1431 फ० के खाता संख्या 00071 के गाटा संख्या 62 रकवा 0.1660हे. पर अध्येतक श्री कृष्ण विद्यालय समिति पता 99बी/8सी, मोहिले नगर अल्लापुर शहर व जिला प्रयागराज जरिए प्रबंधक/सचिव, भान सिंह पुत्र स्थ० नन्द किशोर सिंह नि० 99/8सी, पूरा दलेल अल्लापुर शहर व जिला प्रयागराज वा नाम बतौर शास्त्र संकमणीय भूमिधर अंकित है। हल्का लेखपाल, राजस्व निरीक्षक एवं तहसीलदार करछना द्वारा अपनी जाँच रिपोर्ट में उक्त वादप्रस्त भूखण्ड, के जुज रकवा 0.1245हे. को अकृषिक होना बताया गया है। स्थल के फोटोग्राफ से भी स्पष्ट है कि आराजी निजाई अकृषिक है। आधेदक द्वारा नियमनुसार अकृषिक भूमि उद्घोषणा शुल्क एवं न्याय शुल्क अदा किया गया है। ऐसी रिथति में मौजा धनुहों रिथत उक्त वादप्रस्त आराजी सं. 62 के जुज रकवा 0.1245हे. को अकृषिक घोषित किया जाना न्यायोथित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः हल्का लेखपाल, राजस्व निरीक्षक एवं नायब तहसीलदार करछना की जाँच रिपोर्ट के आधार पर मौजा धनुहों परगना अरैल, तहसील करछना, प्रयागराज की खतीनी सन 1426-1431 फ० के खाता संख्या 00071, के गाटा संख्या 62 रकवा 0.1660हे. के जुज रकवा 0.1245हे. को अकृषिक एवं लगानमुक्त घोषित किया जाता है। तदनुसार परवाना अमलदरामद जारी हो। आदेश की प्रति उपनिवेशक करछना को भेजी जाए। वाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

*PMJU 03/19
(संस्कृत)*

उप जिलाधिकारी, करछना
प्रयागराज